न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या –9/2020 (अपील)

GCMS No.- 2020/00013

चौथमल आत्मज बिरधीलाल जाति मेघवंशी मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1. रामकन्या बाई पत्नि चौथमल
2. मनोज आत्मज चौथमल
3. राजेश आत्मज चौथमल
4. बबलू आत्मज चौथमल

जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. मथुरालाल आत्मज रामनाथ मेघवंशी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दिलीप कुमार आत्मज जगन्नाथ मेघवंशी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रानी बाई पत्नि श्री राजेन्द्र बैरवा निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सीमा कुमारी पुत्री रामेश्वर जाति बैरवा निवासी कालातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. श्रीमति मन्जू करदम पत्नि प्रकाश चन्द जाटव निवासी डडवाडा कोटा जंक्शन कोटा
6. नाथी बाई पत्नि चम्पालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या –1070 दिनांक 08.03.2019 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक–28.02.2022

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा में मुताबिक निर्णय दिनांक 19.2.2019 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के रिकार्ड /पटवारी रिपोर्ट, जांच भू–अभिलेख निरीक्षक के नामान्तकरण 1070 दिनांक 18.03.2019 स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 18.03.2019 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.01.2020 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब स्थित आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.99 हे0, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.97 हे0 में निहित अपीलान्टान के पिता एवं पति चौथमल आत्मज बिरधीलाल जी का नाम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री घनश्याम नागर उपस्थित । रेस्पोडेन्ट नं0 3,4,5,6 की ओर से श्री बद्रीप्रसाद शर्मा अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट के दादा चौथमल आत्मज रघुनाथ आत्मज गोपाल व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पिता जगन्नाथ के शामलाती खाते की ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में पुराने खसरा नम्बर 158 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 158/435 की 6 बीघा कुल 12 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित थी उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 286 रकबा 0.99 हे0 व खसरा नम्बर 228 रकबा 0.97 हे0 कुल 2 किता 1.96 हे0 दर्ज किया गया । रघुनाथ जी द्वारा खसरा नम्बर 158/435 का बेचान जगन्नाथ को कर दिया, बाद बेचान इंतकाल नम्बर 58 दिनांक 11.7.1971 से खसरा नम्बर 158/435 पर जगन्नाथ आत्मज भैरू का नाम दर्ज कर दिया किन्तु जमाबंदी में उक्त इंतकाल का जो अमल किया उसके अनुसार खसरा नम्बर 158/435 के साथ साथ खसरा नम्बर 158 में से भी अपीलान्ट के पिता का नाम हटा दिया । अपीलान्ट को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वाद संख्या 67/2016 घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किया जो दौनों पक्षों को सुनकर दिनांक 4.6.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में वाद डिक्री कर खसरा नम्बर 228 व 286 के 1/2 हिस्से का अपीलान्ट को खातेदार घोषित करने की डिक्री प्रदान की जिसकी पालना में अपीलान्ट का नाम इंतकाल नम्बर 1054 दिनांक 21.12.2018 से अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश व डिक्री दिनांक 4.6.2018 की अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत की जो दिनांक 19.2.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 19.2.2019 में केवल रिमाण्ड करने का आदेश इंतकाल आदि तस्दीक करने का कोई आदेश नहीं प्रदान करने के बावजूद भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा इंतकाल नम्बर 1070 दिनांक 18.3.2019 तस्दीक कर दिया जो कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रदान नहीं किया हैं जिसके आधार पर रेस्पो0 का नाम तस्दीक किया जावे किन्तु फिर भी कानून के विपरीत अपीलान्ट का नाम हटाकर रेस्पो0 का नाम दर्ज कर दिया जबकि कानून के अनुसार धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर ही किसी प्रकार का कोई आदेश प्रदान किया जा सकता है । इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सपठित इंतकाल कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है । नाम दर्ज हो जाने पर रेस्पो0 द्वारा आवासीय कॉलोनी काटकर विवेकानन्दनगर के नाम से फाईलें बनाकर प्लॉट काटे जा रहे है । इस प्रकार अगर आवासीय कॉलोनी मौके पर कायम हो गई तो अपील करना ही निरर्थक हो जायेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश सपठित इंतकाल निरस्त फरमाया जावें और राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 3 लगायत 6 द्वारा उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 228 की रकबा 0.97 हे0, आराजी ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब के खातेदार मथुरालाल पुत्र जगन्नाथ जाति मेघवंशी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.9.2015 से पृथक पृथक खरीद की थी जो कि रानी बाई 0.24 हे0, सीमा कुमारी 0.24 हे0, मन्जू कर्दम 0.24 हे0, नाथी बाई 0.24 हे0, आराजी खरीद कर वक्त खरीद से ही काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी पर मथुरालाल या उनके वारिसान का अब कोई लेना देना नहीं रहा है

जिला कलक्टर
कोटा

किन्तु अपीलान्ट चौथमल द्वारा उक्त अपील गलत तरीके से पेश की गई है जो कि खारिज किये जाने योग्य है । उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट वादी ने तथ्य छुपाते हुये एक वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किया था, उक्त वाद पेश करने से पूर्व ही उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्रों से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, बावजूद इसके प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 को तथाकथित वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है ।उक्त आराजी पूर्व खातेदार नन्दा पुत्र मोहना जाति लश्करी निवासी सोगरिया से खसरा नम्बर 159 की 13 बीघा 9 बिस्वा जो कि ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा में स्थित थी को रघुनाथ पुत्र गोपाल एवं जगन्नाथ पुत्र भैरू के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28.4.1955 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद किया गया था जिसके सेटलमेन्ट सम्वत 2016–2024 के उपरान्त नये खसरा नम्बर 158 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 158/435 रकबा 6 बीघा कायम किये गये थे, उक्त भूमि को रघुनाथ पुत्र गोपाल एवं जगन्नाथ पुत्र भैरू ने 1/2, 1/2 हिस्से में बांटकर मौके पर खसरा नम्बर 158/435 रकबा 6 बीघा भूमि रघुनाथ पुत्र गोपाल के कब्जे काश्त में एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि जगन्नाथ पुत्र भैरू के कब्जे काश्त में रही, इसी अनुसार दोनों खातेदारों ने मौखिक बंटवारा कर लिया तथा इसके उपरान्त रघुनाथ पुत्र गोपाल ने अपनी सम्पूर्ण कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 158/435 रकबा 6 बीघा भूमि दिनांक 10.5.1965 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दूसरे खातेदार जगन्नाथ पुत्र भैरू को बेचान कर दी जो कि नामान्तकरण संख्या 58 से सम्पूर्ण आराजी जगन्नाथ पुत्र भैरू के नाम दर्ज हो गई जो कि 2 किता की 12 बीघा 6 बिस्वा अराजी थी किन्तु इन सब तथ्यों को भी छिपाकर चौथमल द्वारा अपील पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्ट चौथमल द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में पेश किया था जो दिनांक 4.6.2018 को अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री हुआ था जो कि गलत तरीके से दावा डिक्री किया गया था जिसकी अपील प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की गई जो कि अपील संख्या 18/316 थी जिसमें दिनांक 19.2.2019 को निर्णय पारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 निरस्त किया जाता है इसी के साथ माननीय न्ययालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि उक्त प्रकरण को माननीय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर उक्त प्रकरण में रानी बाई एवं अन्य को जवाबदावा का अवसर प्रदान कर जवाबदावा प्राप्त कर तनकी कायम कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पोडेन्ट कम–3 लगायत 6 के विरूद्व निरस्त फरमाई जावें तथा इन्तकाल संख्या 1070 दिनांक 8.3.2019 को बहाल रखा जावें ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नामा0 सं0 1070 दिनांक 18.03.2019 के विरूद्व दिनांक 03.01.2020 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलाधीन इन्तकाल सपठित आदेश प्रार्थीगण की बिना जानकारी व सूचना के प्रदान किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.12.2019 को आराजी पर प्लानिंग होने की जानकारी होने पर आराजी पर गये तथा बाद में हल्का पटवारी से मिले,

जिला कलक्टर
कोटा

जिनके द्वारा नाम खारिज करने की जानकारी प्रदान की तब सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इन्तकाल की नकल दिनांक 27.12.2019 को प्राप्त की तत्पश्चात पैसों की व्यवस्था कर अपील पेश है । न्यायहित में दिनांक 8.3.2019 से दिनांक 27.02.2019 तक की अवधि कन्डोन करने हेतु निवेदन किया है । अपील अन्दर मियाद नहीं है, किन्तु वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र को खारिज कराने हेतु कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किये है । अतः अपील के विलम्ब से पेश करने हेतु बताए गये कारणों पर विचार करते हुए एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम रंगतालाब उर्फ कालाताब में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.2.2019 के अनुसरण में अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 1070 खोला जाकर अपीलान्टान के पति एवं पिता चौथमल का नाम खारिज किया गया । इससे पूर्व उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 की पालना में ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब स्थित खसरा नम्बर 228 व 286 की आराजी पर अपीलान्टान के पिता व पति का नाम इंतकाल नम्बर 1054 से हिस्सा 1/2 पर नाम दर्ज किया गया । उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की गई जहां से राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश दिनांक 4.6.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित किया गया है । हमने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.2.2019 का अवलोकन किया जिस अनुसार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अर्थात उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है कि अपील संख्या 18/316 में रानी बाई एवं अन्य को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उनसे जवाबदावा प्राप्त कर जवाबदावें के आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मतरूप से निर्णय पारित करें । राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 19.2.2019 के अनुसरण में सीधे ही नया नामान्तकरण संख्या 1070 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लडपुरा द्वारा स्वीकृत करना विधि अनुरूप नहीं है । जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित किया है जो अभी भी जैरकार है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1070 निरस्त योग्य प्रतीत होता है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा का नामान्तकरण संख्या 1070 आदेश दिनांक 8.3.2019 निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अभी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा